अमित कुमार पाण्डेय,
अपर सत्र न्यायाधीश-XIV
ए 0 बी0 पी0 संख्या-1122/2026
दिनांक-04.06.2026

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-XIV, गोपालगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-1122/2026
विजयीपुर थाना कांड सं0-91/2026

रितिक कुमार राम उर्फ रितिक राम, पुत्र- नन्दू राम, निवासी- ग्राम लक्ष्मीपुर, थाना-विजयीपुर, जिला-गोपालगंज .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य.....प्रतिपक्ष
आवेदक के तरफ से श्री शत्रुधन कुशवाहा विद्वान अधिवक्ता ।
विपक्षी के तरफ से श्री अनिल कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक ।

आदेश

04.06.2026

आवेदक द्वारा धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु यह याचिका विजयीपुर थाना कांड संख्या 91/2026, दिनांक 19.03.2026, दर्ज धारा 64 बीएनएस एवं धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सूचक नीता देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री पीड़िता बिंदा कुमारी, उम्र लगभग 19 वर्ष, दिनांक 15.03.2026 को प्रातः शौच हेतु घर से निकली थी। उसी दौरान अभियुक्त ने उसका मुंह बंद कर जबरन अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। केस डायरी से यह भी स्पष्ट है कि पीड़िता बिंदा कुमारी का धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत न्यायालय में बयान दर्ज किया गया है, जिसमें उसने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित करने, वीडियो बनाने तथा धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता बिंदा कुमारी ने यह भी कहा है कि भयवश वह तत्काल घटना की सूचना नहीं दे सकी।

आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया कि आवेदक एवं पीड़िता बिंदा कुमारी के बीच पूर्व से प्रेम संबंध था तथा दोनों विवाह करना चाहते थे। प्राथमिकी विलंब से दर्ज की गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाए।

दूसरी ओर, learned APP ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता बिंदा कुमारी का कथन स्पष्ट, सुसंगत एवं अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्यक्ष आरोपयुक्त है। घटना का वीडियो वायरल किए जाने का आरोप भी गंभीर प्रकृति का है। अनुसंधान अभी प्रगति पर है तथा इस स्तर पर अग्रिम जमानत दिए जाने से अनुसंधान प्रभावित हो सकता है।

अमित कुमार पाण्डेय,
अपर सत्र न्यायाधीश-XIV
ए 0 बी0 पी0 संख्या-1122/2026
दिनांक-04.06.2026

मैंने अभिलेख पर उपलब्ध प्राथमिकी, केस डायरी, पीड़िता बिंदा कुमारी का धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज बयान तथा अन्य उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। पीड़िता बिंदा कुमारी ने अपने बयान में अभियुक्त के विरुद्ध स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप लगाए हैं। प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के प्रतीत होते हैं। यह भी आरोप है कि घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया गया, जो मामले की गंभीरता को और बढ़ाता है। जहाँ तक प्रेम संबंध के तर्क का प्रश्न है, वह विचारण एवं अनुसंधान का विषय है। वर्तमान चरण में उपलब्ध सामग्री के आधार पर ऐसा कोई विशेष आधार परिलक्षित नहीं होता जिससे आवेदक को अग्रिम जमानत का असाधारण संरक्षण प्रदान किया जा सके।

अतः आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, अनुसंधान की अवस्था तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक अग्रिम जमानत का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

फलतः, आवेदक रितिक कुमार राम उर्फ रितिक राम की धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत दायर अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकृत/खारिज की जाती है।

लेखापित
ह०-
(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश–XIV
गोपालगंज।

ज्ञापांक...../ दिनांक.....
प्रतिलिपि-विद्वान ए. सी. जे. एम.-VI, गोपालगंज को प्रेषित

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश–XIV
गोपालगंज।

Date of Judgment/Order	04-06.2026
Date of reserving Judgment/Order	
Uploading Date	06-06-2026
Uploaded by	Rohit